संख्या-98/डीएसपी/9/26676
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 25 नवम्बर, 2014

परिपत्र सं0 07/11/2014

विषय : अनाम/छद्मनाम शिकायतों पर कार्रवाई ।

आयोग ने दिनांक 29 जून, 1999 के अपने परिपत्र सं0 3(v)/99/2 तथा दिनांक 31 जनवरी, 2002 के समसंख्यक परिपत्र द्वारा यह निर्धारित किया था कि अनाम तथा छदमनाम शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए । तथापि, बाद में दिनांक 11 अक्तूबर, 2002 के समसंख्यक परिपत्र द्वारा एक समर्थकारी प्रावधान बनाया गया था कि यदि ऐसी शिकायतों में उल्लिखित किसी सत्यापनीय तथ्य की जांच-पड़ताल करने का प्रस्ताव किया जाता है तो इसके लिए विभागों/संगठनों द्वारा आयोग की पूर्व सहमति लिया जाना आवश्यक है ।

2. आयोग ने इस मामले की समीक्षा की है तथा सभी पहलुओं पर विचार करते हुए यह निर्धारित किया है कि दिनांक 29 जून, 1999 तथा 31 जनवरी, 2002 के आयोग के पिछले अनुदेशों के अनुसार मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा अनाम/छद्मनाम शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए तथा इन शिकायतों को फाइल कर दिया जाना चाहिए । आयोग के दिनांक 11 अक्तूबर, 2002 के समसंख्यक परिपत्र को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है । तदनुसार, सतर्कता मैनुअल (खण्ड-I, छठा संस्करण) के अध्याय-III का पैरा 3.8.1 यथानुरूप संशोधित समझा जाए ।

ह0/-
(जे. विनोद कुमार)
विशेष कार्य अधिकारी

सेवा में

1. भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में सभी सचिव ।
2. मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/बीमा कंपनियों/समितियों तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों में सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी ।